**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।**
**पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।**
**अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 764 सन 2026**
**CNR No. UPSP 010020222026**

**रजत जैन पुत्र अरूण कुमार जैन, निवासी चौक बाजार, निकट जैन मंदिर, सरधना थाना सरधना जिला मेरठ।**

**.....प्रार्थी/अभियुक्त।**

**बनाम**

**उ0प्र0 राज्य।** **.....विपक्षी।**

**मु.अ.सं. 46/2025**
**धारा 498ए, 323, 504 भा.दं.सं**
**व धारा 3/4 दहेज विरोधी अधिनियम**
**थाना महिला थाना, जिला–सहारनपुर।**

## निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

**12.03.2026**

प्रार्थी/अभियुक्त **रजत जैन** की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादिया द्वारा इस आशय की तहरीर थाना हाजा पर दी गयी है कि वादिया की शादी रजत जैन के साथ दिनांक 07.03.2025 को सम्पन्न हुई थी, जिसमें उसके घरवालों ने लगभग 25 लाख रूपये खर्च किए थे। लेकिन वादिया के ससुराल वाले इस शादी में दिए गए दान–दहेज से खुश नही थे, और वादिया पर अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रूपयों की मांग उसके साथ मारपीट व गाली गलौच करते थे। वादिया के मामाओं द्वारा चढाया गया जेवर भी विपक्षीगण ने अपने कब्जे में कर लिया। विपक्षीगण विवाह के दो माह बाद ही वादिया को उसके मामा से मिलाने के बहाने उसके मामा के पास छोड आए, और दस लाख रूपये की मांग पूरी होने पर ही वादिया को अपने घर में रखने के लिए कहा। वादिया के मामाओं एवं अन्य परिजनों ने विपक्षीगण को काफी समझाया परन्तु, वे नही माने। इस सम्बन्ध में वादिया के परिजनो ने बिरादरी के लोगो की पंचायत भी रखी, जिसमें विपक्षीगण सोचकर जबाव देने के लिए कहकर चले, परन्तु आज तक कोई जबाव नही दिया। जब वादिया के मामा ने विपक्षीगण से सम्पर्क किया तो विपक्षीगण ने उसके साथ अभ्रद व्यवहार कर दहेज की मांग पूरी किए बिना वादिया को ले जाने व रिश्ता रखने से इन्कार कर दिया। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 46/2025 अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 504 भा.दं.सं व धारा 3/4 दहेज विरोध अधिनियम के अपराध में थाना महिला थाना, जिला सहारनपुर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचना पूर्ण करके अभियुक्त के विरूद्ध उपरिवर्णित धारा में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी दौरान विवेचना थाने से जमानत पर है, उसके द्वारा जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। उक्त मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने का अधिकारी हैं।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल बनाम् स्टेट (एन0सी0टी0 ऑफ देहली) एवं अन्य ए0आई0आर0 ऑनलाइन 2020 एस0सी0 74** में यह अभिमत व्यक्त किया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुॅचाने की नीयत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचार करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत भी व्यक्त किया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अमनप्रीत सिंह बनाम् सी0बी0आई0 2021 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0सी0 941** के मामले में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में उसे जमानत पर निर्मुक्त करना उचित है।

पत्रावली एवं सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिया से अतिरिक्त दहेज में दस लाख रूपयो की मांग कर प्रताडित कर गाली गलौच करते हुए, मारपीट करने का आक्षेप है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है, तथा वादिया का पति होना अभिकथित है। पत्रावली के अवलोकन से दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 के प्राविधानों के अनुपालन में बिना गिरफ्तार किए आरोप पत्र प्रेषित किया जाना दर्शित है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किए जाने पर उक्त आरोप पत्र पर दिनांक 18.09.2025 को प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्त के विरूद्ध समन निर्गत किए जाने पर अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती बच्ची देवी बनाम् उ0 प्र0 राज्य प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 528 बी0एन0एस0एस0 नम्बर 6400 सन 2025** मे पारित आदेशानुसार दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफतार न किए जाने की स्थिति में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण निर्णय विधि सतेन्द्र कुमार अंतिल में प्रतिपादित सिद्धांतो में किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये अभिमत को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

## आदेश

आवेदक/अभियुक्त **रजत जैन** की ओर प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को उपरोक्त वर्णित अभियोग में मु0 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप **अन्दर 15 दिन** दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर मुकदमे के अंतिम निस्तारण तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये :–

1. अभियुक्त, मामले की सुनवाई हेतु नियत तिथियों पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।
2. अभियुक्त, आरोप विरचन के समय, साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
3. अभियुक्त प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, प्रलोभन किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं करेगा, जो केस के तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो।

4. अभियुक्त, धारा 313 दं.प्र.सं के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

5. अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

6. अभियुक्त, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा।

7. अभियुक्त, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना देश नहीं छोडेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाये।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

**दिनांक 12.03.2026**

**(सतेन्द्र कुमार)**
**सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।**
**I.D. UP-1891**